रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09112023-249961
CG-DL-E-09112023-249961

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 647] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 8, 2023/कार्तिक 17, 1945
No. 647] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 8, 2023/KARTIKA 17, 1945

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2023

सा.का.नि. 827(अ).—कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 की अपेक्षानुसार, कीटनाशी नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए एक प्रारूप भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उपखंड (i) को भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, (कृषि और किसान कल्याण विभाग) की अधिसूचना सा.का.नि. सं. 172 (अ), दिनांक 9 मार्च, 2023 द्वारा ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीस दिनों की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया गया था ;

उक्त अधिसूचना की प्रतियां 9 मार्च, 2023 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार ने विचार कर लिया है ;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कीटनाशी नियम 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कीटनाशी (छठा संशोधन) नियम 2023 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन के तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. कीटनाशी नियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 10 के उपनियम (3क) के खंड (iii) में ;-

(क) "भारतीय अनाज संचयन संस्थान, हापुड़ और राष्ट्रीय वनस्पति संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद" शब्दों के स्थान पर "भारतीय अनाज संचयन प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान, हापुड़ तथा राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद" शब्द रखे जाएंग ।

(ख) उपखंड (iii) में, निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परन्तु कोई भी व्यक्ति जो यथानिर्धारित कार्यों के लिए केवल ग्लाइफोसेट और उसके संजातों का उपयोग करके कीट नियंत्रण कार्यों हेतु अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करता है, को निम्नलिखित संस्थानों में से किसी से भी प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा, अर्थात्:-

(i) किसी राज्य का कृषि विश्वविद्यालय ;

(ii) कृषि विज्ञान केन्द्र

(iii) राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद ;

(iv) राज्य कृषि प्रबंधन और विस्तार प्रशिक्षण संस्थान ;

(v) केन्द्रीय या राज्य कृषि अनुसंधान संस्थान ;

(vi) कोई अन्य सरकारी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान ; अथवा

(vii) केंद्रीय या क्षेत्रीय एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन केन्द्र,

राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान, पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रम की निगरानी के लिए नोडल एजेंसी के रूप में रहेगा ।"

[फा. सं. 13035/19/2019-पीपी-I]

आशीष कुमार श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव (पीपी)

नोट: मूल नियम, संख्यांक सा.का.नि. 1650(अ), दिनांक 19 अक्टूबर, 1971 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और संख्यांक सा.का.नि. 794(अ), दिनांक 26 अक्टूबर, 2023 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th November, 2023

G.S.R. 827(E).—Whereas the draft rules further to amend the Insecticides Rules, 1971, was published, as required by section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), vide notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Department of Agriculture and Farmers Welfare) number G.S.R. 172 (E), dated the 9th March, 2023, in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (i), inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of India in which the said notification was published were made available to the public;

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on 9th March, 2023;

And whereas, objections or suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Insecticides Rules, 1971, namely :-

1. (1) These rules may be called the Insecticides (Sixth amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insecticides Rules, 1971 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 10, in sub-rule (3A), in clause (iii),-

(a) for the words "Indian Grain Storage Institute, Hapur and National Plant Protection Training Institute, Hyderabad" the words "Indian Grain Storage Management and Research Institute, Hapur and National Institute of Plant Health Management, Hyderabad;" shall be substituted.

(b) in sub-clause (iii), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that any person who apply for grant of license for the Pest Control Operations using only Glyphosate and its derivatives for such operations as prescribed shall undergo a training programme, meant exclusively for Glyphosate usage, from any one of following Institutions, namely:-

(i) any State Agricultural University;

(ii) Krishi Vigyan Kendra'

(iii) National Institute of Plant Health Management, Hyderabad

(iv) State Agricultural Management and Extension Training Institute;

(v) Central or State Agricultural Research Institute;

(vi) any other Government recognized University or Institute; or

(vii) Central or Regional Integrated Pest Management Center,

with National Institute of Plant Health Management as the implementing Nodal Agency for course curriculum and monitoring of the training programme."

[F. No. 13035/19/2019-PP-I]

ASHISH KUMAR SRIVASTAVA, Jt. Secy. (PP)

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1650(E), dated the 19th October, 1971 and was amended *vide* number G.S.R. 794(E), dated 26th October, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2023.11.09 15:19:11 +05'30'